प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 27 मार्च – 03 अप्रैल 2017 मूल्य पांच रूपए

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में

वीरभद्र एवं अन्य के खिलाफ दर्ज एफ आई आर नहीं हुई रद्द

सी बी आई ने ट्रायल कोर्ट में दायर किया चालान अदालत में शुरू हुई अगली कारवाई

शिमला/बलदेव शर्मा

आय से अधिक संपति मामले में वीरभद्र प्रतिभा सिंह एवम अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा 23.9.2015 को दर्ज की गयी एफआईआर को रद्द किये जाने की गुहार को अन्ततः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31.3.2017 को अस्वीकार करते हुए इस मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया को हरी झण्डी दे दी है। सीबीआई ने भी तुरन्त प्रभाव से इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर दिया है और विशेष जज सीबीआई की अदालत में इसकी अगली कारवाई भी शुरू हो गयी है। विशेष जज की अदालत द्वारा चालान का संज्ञान लेने के साथ ही इसमें नामजद सभी नौ अभियुक्तों को नियमित जमानत लेनी आवश्यक हो जायेगी। सीबीआई इनकी जमानत के आग्रह का कितना विरोध करती है और यदि जमानत नही मिल पाती है तो फिर इनका जेल जाना तय है। वैसे तो उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। यह सीबीआई की लाईन आफ एक्शन पर निर्भर करता है क्योंकि इससे पहले इनकी गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने जो रोक लगा रखी थी वहअब समाप्त हो गयी है। सीबीआई ने जब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद वीरभद्र के आवास और अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी उसके तुरन्त बाद ईडी ने भी इस संद्धर्भ में मनीलॉडरिंग के तहत मामला दर्ज करके अपनी कारवाई शुरू कर दी थी। ईडी ने अपनी कारवाई को बढ़ाते हुए 23 मार्च 2016 को इस मामलें में आठ करोड़ की चल अचल संपति अटैच कर ली थी। इस संपति में कुछ बैंक खाते, एलआईसी पॉलिसियां आरै ग्रेटर कैशाल दिल्ली स्थित मकान शामिल है। इस अटैचमैन्ट आदेश में ईडी ने यह कह रखा है कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर प्रसंग में अभी जांच चल ही रही है और इसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा। इस अटैचमैन्ट आदेश के बाद एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह अब तक जेल में है। उसकी जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित चल रहा है। आनन्द चौहान की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ चालान भी ट्रायल कोर्ट में दायर होकर अब उसमें चार्ज तय की स्टेज आ गई है। इस चालान में भी वक्कामुल्ला प्रसंग को लेकर अनुपूरक चालान शीघ्र ही दायर किये जाने का दावा किया गया है। वक्कामुल्ला से जो लेन-देन दिखाया गया है उसका कुछ निवेश रामपुर के घर पर और कुछ मैहरौली के फार्म हाऊस की खरीद पर हुआ माना जा रहा है।

स्मरणीय है कि वीरभद्र 28.5.2009 से 26.6.2012 तक केन्द्र में मन्त्री थे। इसी दौरान 30.11.2010 को अशोका होटल स्थित एक इस्पात उद्योग समूह के मुख्यालय में आयकर विभाग ने छापामारी की थी। इस छापामारी में इस कंपनी द्वारा एसटीसी के कुछ अधिकारियों को 17.9.2009 से 4.6.2010 के बीच छः बार मोटी रकम दिये जाने का आरोप था। फिर इस छापामारी में कंपनी की जो एक्सल शीटस सामने आयी उसमें कुछ सांकेतिक नामों के सामने मोटी रकमें दर्ज की गयी समाने आयी जिनमें एक नाम VBS था जिसे वीरभद्र सिंह समझा गया। इस नाम के आगे 2.77 करोड़ की राशी दिखायी गयी थी परन्तु जांच में यह पूरी तरह स्थापित नही हो सका।

लेकिन इसी बीच मार्च 2012 में वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिये संशोधित आयकर रिटर्नज दायर कर दिये और इनमें पहले दायर की गयी आय से कई गुणा अधिक बढ़ी हुई आय दिखा दी गयी। इस पर 11-01-2013 को एडवोकेट प्रशान्त भूषण और कामन काज एनजीओ ने सीपीसी और सी बी आई में शिकायत डालकर यह आग्रह किया कि इस्पात उद्योग समूह पर मारे गये छापे में समाने आयी एक्सल शीट्स में VBS के आगे जो 2.77 करोड़ की रकम दिखायी गयी है उसे वीरभद्र सिंह के साथ जोड़कर देखते हुए जांच की जाये। इस पर फिर जांच शुरू हुई। इस जांच 2.77 करोड़ का तो इस्पात उद्योग और वीरभद्र सिंह के बीच किसी भी तरह से कोई संबध स्थापित नहीं हो सका लेकिन जो आयकर रिटर्नज संशोधित करके, कई गुणा बढ़ी हुई आय दिखायी गयी थी उस पर आय से अधिक संपति होने का शक पैदा हो गया। यह सन्देह पैदा होने पर इस मामले में रेगुलर केस दर्ज करके जांच करने की सिफारिश की गयी। इस सिफारिश पर 23.9.2015 को एफआईआर दर्ज हुई जो आज चालान के रूप में ट्रायल कोर्ट में जा पहुंची है।

इस पर अदालत में अगली कारवाई भी शुरू हो गई है। सी बी आई ने जिन रिटर्नज के हिसाब से मामला दर्ज किया है वह यह है।

Sr. No.	Ass. Year	Original ITRs	Revised ITRs (Rs.)
a.	2006-07	12,05,000	NIL
b.	2007-08	16,00,000	NIL
c.	2009-10	7,35,000	2,21,35,000
d.	2010-11	15,00,000	2,80,92,000
e.	2011-12	25,00,000	1,55,00,000
f.	2012-13	85,00,000	NIL
g.	2013-14	92,00,000	NIL

ईडी ने जारी किया दूसरा अटैचमैन्ट आदेश

मैहरोली का फॉर्म हाऊस हुआ अटैच विक्रमादित्य की बढ़ सकती है परेशानी वीरभद्र के खिलाफ गलत शपथ पत्र का भी उभरा मामला

शिमला/बलदेव शर्मा

ईडी ने अन्ततः वीरभद्र के मनीलॉडरिंग प्रकरण में अपनी शेष बची जांच को पूरा करते हुए इसमें अटैचमैन्ट आदेश जारी करने के साथ मैहरोली स्थित फॉर्म हाऊस अटैच कर लिया है। यह फॉर्म हाऊस विक्रमादित्य औरअपराजिता की कंपनी के नाम है। इस मामले की जांच के दौरान वीरभद्र सिंह ने यह ब्यान दिया है कि फॉर्म हाऊस की खरीद विक्रमादित्य ने अपने पैसों से की है।लेकिन विक्रमादित्य ने इस दौरान जो आयकर रिटर्न दायर की है उसमें अपनी कुल आय 2,97,149 दिखाई है। इस फॉर्म हाऊस की रजिस्ट्री 1.20 करोड़ की है और जिस गढ्ढे परिवार से यह खरीदा गया है। उसने आयकर विभाग को दिये ब्यान में यह स्वीकारा है। उसने इसमें 5 करोड़ कैश में लिया है और वह उसके लिये जुर्माना और टैक्स अदा करने के लिये तैयार है। अब ईडी ने इस फॉर्म हाऊस की कीमत 27 करोड़ रूपये आंकी है। ऐसे में अब विक्रमादित्य को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके पास फॉर्म हाऊस खरीदने के लिये इतना पैसा कंहा से आया। यदि इस धन का वैध स्त्रोत स्थापित हो सका तो यह सब मनीलॉड़रिंग बन जायेगा और इसमें विक्रमादित्य के लिये काफी कठिनाई बढ़ जायेगी। The submission of the petitioner no. 1 that his son has purchased the said farmhouse from his own source of income is fallacious, as the total income reflected by the son in the income tax return for the year 2012-13 is Rs. 2,97,149/- which is nowhere close to the amount required to purchase a farm house. He submits that the investigation has revealed that the farm house is included in the total assets of the petitioner no. 1, and that he had, amongst others, given around Rs. 90 lakhs for purchase of the same.

यही नहीं वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि 2012 में प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दायर किया है उसमें भी उन्होंने अपनी आय छिपाई है। क्योंकि जुलाई 2011 में जो आयकर रिटर्न दायर की थी उसमें कुल आय 25 लाख दिखाई थी लेकिन जब 02.08.2012 को इसे संशोधित करके दायर किया गया तो यह आय 1.55 करोड़ दिखायी। परन्तु जब अक्तूबर 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दायर किया गया उसमें कुल आय 18.66 लाख दिखायी गयी है। इस तरह चुनाव आयोग के पास भी वीरभद्र के खिलाफ अपनी आय कम दिखाने का आरोप आ जाता है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को भी चुनाव आयोग के समक्ष रखने का जिक्र किया है। अब चालान दायर होने के बाद यह शपथपत्र का मामला भी आयोग में खुलने की संभावना बढ़ गयी है। It has come to light that that the first ITR for the AY 2011-12 was filed by Shri Vir Bhadra Singh on 11.07.2011 showing his agricultural income as Rs. 25 lakhs. The revised ITR for this year, showing an income of Rs.1.55 crores was filed by him on 02.03.2012. Thereafter, while contesting HP Assembly elections, he filed an affidavit on 17.10.2012 showing his income as Rs. 18.66 lakhs only. Thus, Shri Vir Bhadra Singh appears to have grossly suppressed his income in the said affidavit. This matter is proposed to be brought to the notice of the Election Commission of India, for taking necessary action as deemed fit.

एबीवीपी ने रैली के बाद राज्यपाल को सौंप मांग पत्र

शिमला/शैल। एबीवीपी ने आईस स्केटिंग रिंग में रैली करने के बाद राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल में राष्टीय महामंत्री विनय, सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, उतर क्षेत्रीय संगठन मंत्री नवीन शर्मा, प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर और प्रीति नेगी शामिल रही है। प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी को लेकर जो रैली शिमला में की गई उसके बाद ही मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा गया। अगर हमारी मांगों पर शीघ्र ही कोई कारवाई नहीं हुई तो बडा आंदोलन प्रदेश भर में शुरु किया जाएगा।

उन्होने राज्यपाल को अपने मांग पत्र के माध्यम से स्नातक स्तर पर रूसा को बंद करना, निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यापरीकरण बंद हो, छात्रसंघ चुनावों की बहाली, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायता की बहाली, केंद्रीय विश्वविद्यालय भूमि चयन पर राजनीति बंद हो, महाविद्यायल में आधारभूत ढांचों के सुदृढ करना, एसएससीए पीटीए तथा आउट सोर्स की नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगे, निजी बी एड कालेजों में अध्यापकों का शोषण बंद हो, सेवानिवृति के बाद पुन: रोजगार की प्रथा बंद की जाए, निजी स्कूलों में फीस को लेकर नियामक कमीशन का गठन किया जाए, जेबीटी की भर्ती बैच बाईज शुरु की जाए, शिक्षण संस्थानों के बाहर नशा माफिया से निपटने के लिए व्यापक योजना को अमलीजामा पहनाया जाए।

राज्यपाल ने शून्य बजट जैविक खेती पर किया संतोष व्यक्त

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कांगड़ा जिले के पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों का दौरा किया और विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों जानकारी हासिल की। उन्होंने सम्बन्धित वैज्ञानिकों को गुणवत्ता में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की और उनसे अनुसंधान गतिविधियों बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल ने जैविक कृषि विभाग के तहत कार्यरत शून्य बजट जैविक खेती का भी दौरा किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा उनके मिशन के तहत प्राकृतिक खेती करने तथा प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन को पूरी तरह तैयार करने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह देखकर प्रसन्न्ता जाहिर की कि प्राकृतिक कृषि फसल जैविक खेती से और अधिक बेहतर है जो दर्शाता है कि प्राकृतिक खेती सुरक्षित है और इसके बेहतर परिणाम सुनिश्चित हैं।

उन्होंने उपायुक्त सी.पी. वर्मा को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा उद्यान विभाग के साथ जिला स्तर पर बैठक करे के निर्देश दिए, ताकि वे किसानों की बेहतरी के लिए आपसी तालमेल से कार्य कर सकें। उन्होंने विश्वविद्यालय के बीज उत्पादन फार्म का भी दौरा किया और सम्बन्धित अधिकारियों को क्षेत्र के पारम्परिक बीजों के संरक्षण करने को कहा।

राज्यपाल ने पशुपालन महाविद्यालय, होल्टा के अन्तर्गत संचालित टीचिंग वेटनरी क्लीनिकल परिसर का भी दौरा किया। उन्होंने पशु चिकित्सकों के साथ भी चर्चा की। टीवीसीसी के मुख्य डा. पंकज सूद ने पशुओं के क्लीनकल जांच व उपचार के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। उन्होंने तकनीकी हस्तांतरण की नई खोजों के बारे में भी बताते हुए कहा कि इस केन्द्र में 80 प्रतिशत से भी अधिक पशु उपचार के उपरांत रोगमुक्त हुए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया प्रणाली संतोषजनक नहीं है तथा विशेषज्ञों को एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण फैलने की दर को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गायों को संरक्षित करना अति-महत्वपूर्ण है। उन्होंने हि.प्र. पशु विकास बोर्ड के वीर्य केन्द्र का भी दौरा किया। अतिरिक्त निदेशक डा. संदीप जसयाल ने केन्द्र की गतिविधियों बारे राज्यपाल को अवगत करवाया। राज्यपाल ने उत्पादन के लिहाज से विदेशी नस्लों के बैलों से अधिक बेहतर स्वदेशी बैलों के संरक्षण के भी निर्देश दिए।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डा. अशोक सरयाल, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की एलईडी ट्यूब लाईट और ऊर्जा कुशल फैन कार्यक्रम की शुरूआत

शिमला/शैल। राज्य में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एलईडी ट्यूब लाईट और ऊर्जा कुशल (फैन) को 'उन्नत जीवन बाय एफोरडेबल एलईडी एंड एप्लाईसिस फॉर ऑल' (उजाला) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाने के लिए वितरण की शुरूआत की, यह पुराने घरेलू कुशल बिजली कार्यक्रम का विस्तार है। उन्होंने कहा कि 'उजाला' सरकार की ऊर्जा संरक्षण पहल का एक अभिन्न अंग है और राज्य के लोगों द्वारा इसे सफलतापूर्वक अपनाया गया है। नवीन ऊर्जा व्यापार म डल के पूरे राज्य में ऊर्जा बचत के उपायों के कारगार कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप में पूरे प्रदेश राज्य सरकार एवं एचपीएसपीबीएल के साथ कार्यान्वित करेगा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा दक्षता राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इस पहल का शुभारम्भ 2015-16 के बजट में एलईडी बल्बों के वितरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप किया गया है और 12 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 74 लाख बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 150 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत हुई, जो इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम की तरह इस नई पहल को भी सफलता हासिल होगी।

ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा कुशल एलईडी ट्यूब लाईट वितररित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक ट्यूब लाईट 230 रुपये में तीन साल की मुफ्त प्रति स्थापना वारंटी सहित मिलेगी। पारम्परिक 75 वॉट छत के पंखे को बीईई पांच सतारा 50 वॉट के पंखे से बदलने के लिए 1150 रुपये खर्च होंगे, जिसके साथ दो साल की मुफ्त प्रति स्थापना वारंटी मिलेगी। इससे 33 प्रतिशत बिजली की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को शिमला से आरम्भ किया गया है और सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

अर्की बार ऐसोसिएशन ने किया न्यायालयों का बहिष्कार

शिमला/शैल। अर्की बार ऐसोसिएशन द्वारा बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष बीआर वर्मा की अध्यक्षता में सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। अर्की बार ऐसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र किशोर ने बताया कि यह बहिष्कार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आहवान पर किया गया है।

मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य:चुनावआयोग

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने कहा किभोरंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता, जिन्हें फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं, को यह पहचान पत्र 9 अप्रैल, 2017 को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची तथा सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्रों जैसे फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईपीआईसी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लेखन अथवा अन्य अशुद्धि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित हो रही हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के मिलान न होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तो ऐसी स्थिति में मतदाता को उक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तातेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II HP-PWD Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP- PWD , whose registrations stood renewed as per revised instructions date of tender are as under:-

1. Date of application — 24.04.2017 upto 2:00PM
2. Date of sale of tender form — 24.04.2017 upto 5:00PM
3. Date of receipt of financial bid — 25.04.2017 at 10:30AM.
4. Date of opening financial bid — 24.04.2017 at 11:00AM.

The tender shall be received up to 10:30 AM on 25.04.2017 and will opened on the same day at 11:00A.M. in the presence of intending contractors or their authorsed representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-Refundable) during the working hours on 24.04.2017.

The Earnest Money in the Shape of National Saving Certificate/ Deposit at call /Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office / Nationalized Bank in H.P duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD Bilaspur must accompany with each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Class Tender	Time For
1.	Annual Maintenance Plan for the year 2017-18 for Rural roads (PMGSY) on NH-21 Kallar to Kacholi km.2/0 to 3/0 (HP 0101VR0070) (SH:- Providing and Laying 20mm thick premix carpet and seal coat type -B) (Cold Mix Bitumen)	583827/-	11700/-	350/-		Three Months
2.	Annual Maintenance Plan for the year 2017-18 for Rural roads (PMGSY) on NH-21 to Village Bhuwai km.0/0 to 2/740 (SH:- Providing and Laying 20 mm thick premix carpet and seal coat type -B) in km 1/0 to 2/0 to 2/285 (HP0101 VR0037)	7,45,688/-	15000/-	350/-		Three Month

TERMS AND CONDITIONS:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is found satisfactory.
2. Earnest Money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of TIN Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.- 5026/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

मुख्यमंत्री ने डिजिटल राशन कार्ड का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने क्यूआर कोडेड डिजिटल राशन कार्ड का शुभारम्भ किया। इससे राज्य में फर्जी राशन कार्डों पर अंकुश लगेगा। नए राशन कार्ड पैन कार्ड साईज के हैं, जो लोगों को अगले सप्ताह से वितरित कर दिए जाएंगे।

परिवहन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री जी.एस. बाली व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री तथा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली फर्जी राशन कार्डों को नियंत्रित करने में सहायक होने के अतिरिक्त राशन की चोरी को भी रोकेगी। डिजिटल कार्ड आधार के साथ जुड़ा होगा तथा स्वाइप मशीन के माध्यम से उपयोग किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति के लिए कार्ड उपयुक्त 2000 प्वांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें खरीदी गई हैं।

परिवहन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि 16लाख राशन कार्ड सप्ताह भर में उपभोक्ताओं को वितरित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य में ईपीडीएस परियोजना के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस मशीनों के

स्थापन तथा राशन कार्डों के डिजिटलीकरण के साथ पीडीएस का स्वचालन आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वचालन/ कम्प्यूटीकरण की लागत 50:50 के अनुपात के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रधान सचिव खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति तरूण कपूर, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति निगम की प्रबन्ध निदेशक सुधा देवी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने शिखर सम्मान पुरस्कार वितरित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश कला, भाषा एवं संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित एक समारोह में साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ट और निष्पादन कला के क्षेत्र में कत्थक में विशिष्ट योगदान के लिए इला पांडे को शिखर सम्मान-2016 से सम्मानित किया। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के अलावा एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इला पांडे ने पुरस्कार राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संस्कृति और परम्पराएं केवल आंकड़ों या स्मारक चिन्हों तक की सीमित नहीं हैं बल्कि वास्तव में ये सीधे तौर पर जन जीवन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति मानव सृजन का मानसिक चित्रण है। जो लोग समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण और संवर्द्धन में कवियों, कलाकारों और लेखकों के योगदान को नजरंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अपरोक्ष रूप से आने वाली पीढ़ियों को जागरुक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमारी परम्पराएं और रीति-रिवाज जीवन का आधार हैं और संस्कृति को तथ्यों या आंकड़ों की नजर से नहीं बल्कि जीवन, इतिहास, प्रकृति और भौगोलिक परिस्थितियों की कहानी और व्याख्या के तौर पर देखना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति, भाषाओं और लोक कलाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और यह अकादमी के सम्मुख एक बड़ी जिम्मेवारी है।

उन्होंने कहा कि संगीत हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न् अंग है जिसे व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में संगीत अध्यापक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में संगीत शिक्षा के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रो. एम.सी सक्सेना की पुस्तक आकाश बेल का विमोचन भी किया।

उन्होंने निष्पादन कला के क्षेत्र में ज्वाला प्रसाद शर्मा और दृश्य कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रो. हिमा चौटर्जी को निष्पादन कला सम्मान-2016 देने की घोषणा की।

भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा ने कहा कि इतिहास हमें समाज के साथ-साथ संस्कृति के उद्भव को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि इतिहासकार, कवि और लेखक समाज का वास्तविक आईना हैं जो इसका सही पक्ष उजागर करते हैं। अकादमी की निदेशक शशि ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सचिव अशोक हंस ने अकादमी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

एचपीएमसी ने किया 7368 लाख रुपये का कारोबार

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने एचपीएमसी के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एचपीएमसी प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी है, जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करवाने वाले उत्पादित फलों के प्रापण, प्रसंस्करण तथा संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

स्टोक्स ने कहा कि एचपीएमसी ने इस वित्त वर्ष के दौरान सर्वाधिक 7368 लाख रुपये के कारोबार का लक्ष्य पूरा किया है, जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त घाटे को भी वर्ष 2015-16 के दौरान 653 लाख रुपये से घटा कर 312 तक लाया है। वर्ष 2015-16 के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने वर्ष 2017-18 के लिए 9200 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने बताया कि बोर्ड ने निगम के कर्मचारियों को एक जुलाई, 2016 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मंहगाई भत्ते की किस्त जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

एचपीएमसी के प्रबन्ध निदेशक जे.सी.शर्मा ने कहा कि निदेशक मण्डल ने परवाणू में शीत भंडार सुविधाएं भाड़े पर लेने के अलावा ताजा प्राकृतिक सेब के रस से एप्पल साइडर के उत्पादन तथा विपणन के लिए बैंगलुरु की कम्पनी मैसर्ज पीएच-4 से समझौता किया है। निगम इस प्रबन्ध के लिए 162 लाख रुपये सालाना का अतिरिक्त राजस्व सृजित करेगा तथा शीत भंडार परवाणू के शून्य से 20 डिग्री कम वाले चौम्बर का सही उपयोग तथा फलों की श्रेणियों के प्रसंस्करण में भी सहायता करेगा।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने राष्ट्रीय विक्रय एजेंट, सुलभ वितरण के लिए सुपर स्टॉकिस्ट तथा अन्य एमएमसीसी के समान्तर विपणन नेटवर्क को भी स्वीकृति दी ताकि निगम का वितरण नेटवर्क सुदृढ़ तथा विस्तृत बनाया जा सके।

बोर्ड ने मैसर्ज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को थोक में सेब के रस की आपूर्ति के लिए निगम द्वारा व्यवस्थित प्रबन्धों तथा राधा स्वामी डेरा को टैटरापैक में पेय की आपूर्ति को भी स्वीकृति दी। एचपीएमसी के महा प्रबन्धक सुरेन्द्र माल्टू भी इस बैठक में उपस्थित थे।

टीसीपी को विचलन कम्पाउंडिंग के लिए प्राप्त हुए 9097 आवेदन

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विचलन कंपाउंडिंग के लिए हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मामले प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों की समयावधि निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि समय सीमा की अंतिम तिथि 30 मार्च, 2017 तक लगभग 9097 आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए, जिनमें 5697 शिमला जिले में, 1304 सोलन में, 297 सिरमौर में, 228 ऊना में, 114 चम्बा में, 215 कांगड़ा में, 481 कुल्लू में, 549 मण्डी में, 145 बिलासपुर में, 67 हमीरपुर में प्रस्तुत किए गए, जबकि किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिलों से कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। मंत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला तथा धर्मशाला के पास क्रमशः 4009 व 152 आवेदन प्राप्त हुए।

उन्होंने कहा कि शहरी एवं नगर नियोजन तथा शहरी स्थानीय निकाय निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगे और 29 जनवरी, 2018 से पूर्व मामलों का निपटारा करेंगे।

राज्य सरकार की वन भूमि के हस्तांतरण की शक्तियां बढ़ाने की मांग

शिमला/शैल। उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की गई। राज्य सरकार की ओर से उप-आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने बैठक में भाग लिया। राज्य से जुड़े मुद्दे उठाते हुए उन्होंने गैर वानिकी/विकास गतिविधियों के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए पहाड़ी राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान में राज्य सरकार के पास पांच हेक्टेयर तक की स्वीकृति की शक्तियां हैं, जो सड़कों, अस्पतालों व स्कूलों इत्यादि के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिससे सार्वजनिक कल्याण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री डॉ. हसीब ए द्रबू ने इस मामले को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि उत्तरी क्षेत्र में सदस्य राज्यों के बीच आवाजाही वाले पर्यटक अथवा वाणिज्यिक वाहनों पर एक समान दर से कर लगाया जाए। अन्तरराज्य व्यापार के बारे में राज्यों के बीच सूचना सांझा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया ताकि व्यापार की मात्रा और करों के परिणामस्वरूप मूल्यांकन राज्य जीएसटी को अनुकूलित करने में सहायक हो। उत्तरी राज्यों के बीच आपदा प्रबन्धन में सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया।

उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

कारपोरेट समन्वय समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने की पैंशन की मांग

शिमला/शैल। ठाकुर सिंह भरमौरी वन एवं मत्स्य मंत्री हि0 प्र0 के विधानसभा कार्यालय में कारपोरेट समन्वय समिति का प्रतिनिधि मण्डल संजय शर्मा प्रधान राज्य वन निगम महासंघ की अध्यक्षता में मिला। प्रधान राज्य वन निगम ने वन एवं मत्स्य मंत्री को वन निगम के कर्मचारियों की समस्या बारे अवगत करवाया व निगम को घाटे से उबारने के बारे में चर्चा की गई।

प्रधान राज्य वन निगम ने कहा कि बिजली बोर्ड, परिवहन निगम, स्कूल शिक्षा बोर्ड व नगर निगम के कर्मचारियों को सरकार पैंशन दे रही है। जबकि कुछ निगमों व बोर्डों में पैंशन नहीं मिलती है। प्रधान राज्य वन निगम महासंघ ने वन एवं मत्स्य मंत्री से आग्रह किया कि जिन निगमों व बोर्डों को पैंशन नहीं है उन्हें पैंशन उपलब्ध करवाई जाये क्योंकि सेवानिवृति के पश्चात कर्मचारी शारीरिक व मानसिक कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है। उन्होंने मांग कि निगमों व बोर्डों के बाकी बचे कर्मचारियों की पैंशन का मामला अपने स्तर पर सरकार से उठाये तथा पैंशन से बंचित कर्मचारियों को भी पैंशन मिल सके व सेवानिवृति के पश्चात हम भी सम्मानजनक जीवन जी सकें।

वन एवं मत्स्य मंत्री ने कारपोरेट समन्वय समिति के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया कि आपकी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा जायेगा।

इस मौके पर कमलेश शांडिल महासचिव समन्वय समिति कारपोरेट सेक्टर, केवल चौहान उपाध्यक्ष वन निगम महासंघ, किशोरी चौहान संगठन सचिव नवीन सूद, गीता राम वर्मा, वीशन चौहान, राजेन्द्र शर्मा, बाबू राम शर्मा व अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे।

भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका इश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है .....चाणक्य

सम्पादकीय

चुनाव आयोग से अपेक्षाएं

चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अपने संगठनात्मक चुनाव पूरा करने के लिये छः माह का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पूर्व विधायकों/सांसदो को मिल रही पैन्शन को बन्द किये जाने की गुहार को लेकर जो याचिका आयी है उस पर आयोग की क्या राय है। दागी छवि के जन प्रतिनिधियों को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाये यह आग्रह एक याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय से आयोग ने किया है। यह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी राजनीतिक स्वच्छता के लिये आवश्यक हैं। इस समय हमारे चुनाव पंचायत से लेकर संसद तक इतने महंगे हो गये हैं कि आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। चुनाव आयोग ने ही विधानसभा से लेकर संसद तक चुनाव खर्च की सीमा इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति चुनाव के लिये इतना सफेद धन खर्च नहीं कर सकता। इन चुनावों में एक-एक प्रत्याशी करोड़ो खर्च कर रहा है लेकिन आयोग के पास जो ब्योरा इस खर्च का दायर किया जाता है वह एकदम साफ झूठ होता है। सारा खर्च संबधित राजनीतिक दल के नाम डाल दिया जाता है और पार्टी के लिये खर्च की कोई सीमा है नहीं। पार्टीयों के लिये दिये जा रहे चन्दे की जो सीमा बीस हजार से घटाकर दो हजार करने की बात की गयी थी उसे फिर संशोधित करके पहले से भी ज्यादा सरल कर दिया गया है। अब किसी भी पंजीकृत कंपनी से पार्टी कितना भी चन्दा ले सकती है। उस पर कंपनी से कोई स्वोत नही पूछा जायेगा। कंपनी में राजनेता का ही काला धन निवेश होकर चन्दे के रूप में वापिस आ रहा है इसको चैक करने का कोई प्रावधान नही है। कुल मिलाकर धन के मामले में पार्टीयां फिर निरंकुश हो गयी हैं और व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने के लिये पार्टी के मंच का सहारा लेना ही एक विकल्प रह गया है।

ऐसे में जब तक चुनाव को खर्च मुक्त नही किया जायेगा तब तक देश की व्यवस्था में सुधार का हर प्रयास बेमानी हो जायेगा। राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र हो उसके लिये संगठन में चुनाव होना आवश्यक है। लेकिन आज देश में कितने ही राजनीतिक दल हैं जो केवल एक परिवार के ही होकर रह गये हैं और फिर सत्तासीन भी रह चुके हैं यह सब पैसे के कारण हुआ है। भाजपा जैसे दल में चयन के स्थान पर मनोनयन का चलन है और यह भी अपरोक्ष परिवारवाद की ही संज्ञा में आता है क्योंकि यह संघ परिवार के निर्देषों पर होता है। इसी धन और परिवारवाद के कारण ही आज देश का कोई भी दल बाहुबलियों से मुक्त नही है। हर दल चुनाव में इन्हें ज्यादा -से-ज्यादा टिकट देने की होड़ में रहता है यह हर दिये जा रहे टिकटों के बढ़ते आकड़ो से प्रमाणित हो रहा है। पूर्व विधायकों/सांसदो को पैन्शन देने के मामले में वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तय करना संसद का अधिकार क्षेत्र है न्यायालय का नहीं। इसलिये चुनाव सुधारों की दिशा में उठाये जा रहे इन कदमों से भी कोई बड़ा लाभ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि आज के राजनीतिक दल एकदम कारपोरेट घरानों जैसे हो गये हैं। आज चुनाव प्रचार एक व्यवसाय बन गया है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र क्या हैं और उसमें किये गये वायदे कैसे पूरे होगे, कितने समय में होगे तथा उनके लिये धन की व्यवस्था कहां से होगी इसकी कोई चर्चा प्रचार के दौरान सामने आ ही नही पाती है। देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है इसकी कोई चर्चा उठ ही नही पाती है। जबकि किसी भी चुनाव प्रचार का मूल यही रहना चाहिये। आज देश अपरोक्ष में एक राजनीतिक निरंकुशता की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि इस समय राजनीति को धर्म और संस्कृति के सहारे बढ़ाया जा रहा है जो कि कालान्तर में घातक सिद्ध होगा।

इस स्थिति से बचने के लिये चुनाव सुधारों का ही माध्यम शेष बचा है। इसमें चुनाव प्रचार को खर्च से मुक्त करने का रास्ता खोजना पड़ेगा। यदि ईमानदारी से इस दिशा में प्रयास किया जाये तो ऐसा किया जा सकता है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना को क्रिमिनल अपराध की संज्ञा दी जानी चाहिये। आज आचार संहिता की उल्लंघना पर केवल चुनाव याचिका दायर करने का ही विकल्प है और ऐसी याचिकाएं वर्षो तक लंबित रहती हैं। आचार संहिता की उल्लंघना का मामला दर्ज होते ही उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर देना चाहिये। चुनाव खर्च की सीमा पार्टीयों के लिये भी तय होनी चाहिये। पार्टीयों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिये चुनावों की घोषणा के बाद कोई समय नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि पार्टीयों के पास चुनावों के बाद अगले चुनावों तक का जो समय रहता है उसी के बीच यह प्रचार-प्रसार होना चाहिये। चुनावों की घोषणा के बाद हर मतदाता के पास उम्मीदवार का पूरा प्रोफाईल और उसका चुनाव घोषणा पत्र हर मतदाता तक पहुचा दिया जाना चाहिये। चुनाव घोषणा पत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति और उस स्थिति में घोषणा पत्र में घोषित दावों को कैसे पूरा किया जायेगा इसका पूरा उल्लेख रहना अनिवार्य होना चाहिये। जब मतदाता के पास सारे उम्मीदवारों का यह विवरण पहुंच जायेगा तो वह उसकी समीक्षा करके सही उम्मीदवार का चयन कर पायेगा। इसी के साथ जनप्रतिनिधियों के जो अपराधिक मामले वर्षो से अदालतों में लंबित चल रहे हैं उनका निपटारा ट्रायल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक प्राथमिकता के आधार पर एक तय समय सीमा के भीतर किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। आज चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के बीच कुछ मामलों में जो एक संवाद की स्थिति उभरी है उसमें इन पक्षों पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है।

गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुख और गुणवत्तापरक बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। विभाग विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और वैश्विक बाजार के लिए युवाओं को शिक्षित, रोजगार लायक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिक घटक को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें शिक्षित और रोजगार लायक युवाओं के बीच के अंतर को भरने, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने और उच्चतर स्तर पर शिक्षण के दबाव को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना में नवीं से बारहवीं कक्षा तक सामान्य शैक्षिक विषयों के साथ ही खुदरा व्यापार, ऑटोमोबाइल, कृषि, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के रोजगारोन्मुख व्यावसायिक विषय शुरू किए गए है। 'घनश्याम गोयल'

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों को शैक्षिक समानता प्रदान करने के लिए 15 जुलाई, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन - नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत क्रमशः आठवीं और दसवीं कक्षा के बाद दो वर्ष का आईटीआई कोर्स करने वाले आईटीआई छात्रों/ पासआउट के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

माध्यमिक स्तर पर छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आरएमएसए के अंतर्गत विभिन्न पहलों को वित्तीय सहायता दी गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) छात्र- शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षक

(ii) शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सहित इंडक्शन और इन-सर्विस ट्रेनिंग

(iii) गणित और विज्ञान किट

(iv) स्कूल में आईसीटी सुविधाएं

(v) प्रयोगशाला उपकरण

(vi) सीखने को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों को शैक्षिक मानकों में सुधार की कई पहलों के लिए समर्थन दिया गया है। इनमें नियमित इन-सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, नए भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग, व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए गैर-प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षक, ब्लॉक और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के जरिए शिक्षकों के लिए शैक्षिक सहायता, छात्रों की क्षमता को मापने में शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए लगातार और व्यापक मूल्यांकन और आवश्यकतानुसार सुधार करना तथा उचित शिक्षण -सीखने की सामग्री विकसित करने के लिए शिक्षक और स्कूल के लिए अनुदान आदि शामिल हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 में शिक्षकों के वैधानिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किए गए है और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की न्यूनतम योग्यता बताई गई है। एसएसए के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 150 रूपये प्रति बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 250 रूपये प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा में सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठयपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इनमें राज्य पाठयक्रम शुरू करने के इच्छुक मदरसे भी शामिल हैं। एसएसए के तहत वंचित समुदायों के बच्चों अर्थात सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के लड़कों को चार सौ रूपये प्रति व्यक्ति दर से दो जोड़े यूनिफार्म भी दी जाती हैं। पहली और दूसरी कक्षा में 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' (पीबीबीबी) नाम के उप कार्यक्रम के जरिए शुरूआत से ही पढ़ने, लिखने और समझने तथा शुरूआती गणित कार्यक्रमों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान और आरएमएसए के उप कारक के तौर पर 9 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, प्रयोग, निष्कर्ष निकालने और म डल तैयार करने के जरिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करना तथा प्रोत्साहित करना है।

स्कूलों को अधिक ध्यान केंद्रित और रणनीतिक तरीके से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सुधार के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'शाला सिद्धि' नाम का स्कूल मानदंड और मूल्यांकन ढांचा विकसित किया है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) समय समय पर तीसरी, पांचवी, आठवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों की सीखने की उपलब्धियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। अब तक पांचवी कक्षा के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के चार और तीसरी तथा आठवीं के तीन राउंड हो चुके हैं। इनसे पता चला है कि पहले से चौथे राउंड के दौरान चिन्हित विषयों में छात्रों के सीखने की उपलब्धि के स्तर में काफी सुधार हुआ है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान वर्ष से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों का वार्षिक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रारंभिक सत्र में सभी कक्षाओं के सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित सीखने के परिणाम के अुनसार छात्रों के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। पसूका

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरूणाचल के मुख्यमन्त्री थे। उन्होने अरूणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया औरे इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

गंताक से आगे.....

मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के Anjaw जिले में 11 Micro hydropower project का निर्माण समय और सही fund से करवाया। पहाड़ी और बार्डर क्षेत्र होने के बावजूद भी हमने विकास किया। जिसके कारण जिले के DC Hqtr. Co Hqtr में आज 24 घंटे बिजली व्यवस्था उपलब्ध है। जबकि राज्य की राजधानी ईटानगर और सबसे पूराने शहरों – पसिघाट, जीरो, आलो व तेजू मे आज भी बिजली की कमी है।

मैने Hawai District Head quarter es Township water Project योजना को पास करवाया था। 14 करोड़ की इस योजना को पूरा करना आसान नही था। पहाड़ी क्षेत्र की वजह से हमें काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी इस काम को 2 towns (New & Old) और 5 बस्तियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

Tezu में भी पानी की ऐसी ही एक योजना को मैने और Prashant Lokhande Secretary Planning से मंजूर करवाया था। समतल क्षेत्र (plane area) होने के बाद भी 24 करोड़ रूपये के fund को खत्म कर इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि उस fund का misuse हुआ है Ex- MLA Karikho kri और उसके Engineer भाई ने पैसों का misuse किया था। Tezu में आज भी लोगों को सप्लाई पानी की तकलीफ है।

इसी तरह Tezu Township में सड़क सुधारने की बहुत सी योजनाएं थी। जिसे अलग – अलग sources (SPA,TFC, NABARD & Non plan) से 4 सालों में 29 करोड़ रूपये का fund दिया गया था। जबकि इस ओर कुछ भी काम नहीं किया गया और पैसों का misuse हुआ। जबकि सडक को अभी भी बनना और मरम्मत करना बाकी है। राज्य के ऐसे ही और भी बहुत से जिलों में विधानसभा क्षेत्रों और कस्बों में योजनाएं बनी। project sanctioned किया गया। पैसा खत्म हो गया लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

लेकिन इस राज्य में कहीं कोई हिसाब – किताब नहीं है। विधायक और मंत्री मिल – जुल कर आगे बढ़ते है। जिसके कारण राज्य में बहुत सी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाती है और बीच में ही लटक जाती है। जिनका खामयाजा जनता को भुगतना पड़ता है और राज्य विकास नहीं कर पाता है। यहां मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और विधायक corrupt है। जिनके चलते राज्य की दुर्गति होती है।

आज के समय में जनता देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुद की वजह से शिकार है उसे देखती है सहती है, लेकिन आवाज नही उठाती है। जबकि सरकार को वही चुनती है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का मरना तो तय है। आज जनता को एकजुट होकर एक स्वर में भष्ट तंत्र का विरोध करना चाहिए।

आज अधिकारियों के लिए नियम – कानून, योजना और तंत्र बना हुआ है। जिसके हिसाब से उन्हे काम करना चाहिए। उन्हें जनता की सेवा – सुविधा के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन यह लोग नेताओं और बड़े अधिकारियों को अपना सहयोग देते हैं। उनके और अपने हित में काम करते हैं और उनके दबाव में काम करते हैं। ऐसी हालत में राज्य और जनता के बारे में कौन सोचेगा? कौन उनके हितों को आगे बढ़ायेगा? यह जाएं तो कहां जाएं?

पुलिस और प्रशासन का काम लोगों के जान – माल की रक्षा – सुरक्षा करना है। उनके सही – गलत को पहचानना है और उनकी हर संभव सहायता करना है। लेकिन आज यह नेताओं की चापलूसी करते है। उनके साथ मिलकर राजनीति करते है और सिर्फ उन्ही के लिए काम करते है। ऐसे में जनता का क्या होगा और उन्हे कौन बचायेगा?

आज न्यायालय का काम – सच का फैसला करना, झूठे और भ्रष्ट लोगों को सजा देना है फिर चाहे वह अधिकारी, नेता और मंत्री ही क्यों न हो। लेकिन आज Lower Court से Supreme Court के वकील और जज भी बिके हुए है। ऐसे में सचे भोले निर्दोष, मेहनती और अच्छे व्यवहार वाले लोगों का क्या होगा? कौन उनकी सुनेगा? कौन उन्हे सच्चा फैसला देगा? और कौन उनकी रक्षा करेगा? लेकिन यह सबसे ज्यादा दुःख की बात है कि न्याय और न्यायालय भी बिके हुए हैं। ऐसे में सिर्फ भगवान ही लोगों की रक्षा कर सकते हैं लेकिन भगवान वोट देने तो नहीं आयेंगे। भ्रष्ट तंत्र को सही करने खुद तो नही आयेंगे। हे भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है कि – इस भोली जनता को बुद्धि – ज्ञान दे, सोच – समझ दे, हिम्मत – ताकत दें, ताकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके। लड़ सके और भ्रष्ट दिमाग और विचार वाले नेताओं को उखाड़ सके।

अगर ऊपर बैठे लोग ही सही नहीं है तो कैसे हम किसी और को इसका दोष दे सकते है। राज्य के बड़े मंत्री दोरजी खांडू नबाम तुकी, चोऊना मेन, पेमा खांडू व बहुत से मंत्री और विधायकों ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है और अपना घर भरा है।

मैं राज्य में हो रहे इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था। सरकारी योजनाओं और जनता के पैसों को विकास के कामों में उपयोग करना चाहता था। अपने राज्य और जनता को देश के अन्य राज्यों व दुनिया के बराबर और उस से भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन शायद यह बात मेरे साथी विधायकों को अच्छी नहीं लगी।

मै पूछता हूं कि यह जनता कब जागेगी और कब इसे होश आयेगा, कब तक जनता चुनावों में नेताओं की महंगी कारों को देखकर, शराब व थोड़े से पैसे लेकर और उनके झूठे वादों को सच्च मानकर वोट देती रहेगी। सच तो यह है कि जनता खुद ही बेवकुफ बने रहना चाहती है। वह सच्च से दूर भागती है। जनता अपने आप तय करे कि उन्हे क्या करना है। मेरा काम तो जनता को सच्च बताना था। लेकिन फैसला जनता के हाथ में ही है।

अपने 23 सालों के राजनीतिक सफर में अलग – अलग मंत्री पद पर रहते हुए मैंने राज्य और जनता के हित में जो काम किया। जिस भी विभाग में काम किया या अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया। वह शायद आपको नहीं दिखा।

लेकिन अपने साढ़े चार महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो मैने कार्य किया वह राज्य और जनता के हित में ही किया गया था। जिसे आप सभी ने देखा, सुना व समझा और सराहा भी है।

मैं अरूणाचल और देश की जनता को खासकर युवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूं कि Social Media, (Facebook , whatsapp, Twitter) पर 17 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमारी सरकार के काम, नीतिओं योजनाओं और फैसलों को समर्थन दिया और सराहा है।

इन बातों को बताने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है न ही मुझे किसी से कोई भय है न मैं कमजोर हूं और न मैं इसको अपना समर्पण मानता हूं।

इन बातों को कहने से मेरा इरादा जनता को जगाना है उन्हे सरकार समाज, राज्य और देश में हो रह इन गदे पाटकों, लुटपात और भ्रष्ट तंत्र के सच के बारे में बताना है लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है वह कोई भी बात को जल्द ही भूल जाते है। इसलिये इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मै जनता को याद दिलाने , जगाने, विश्वास दिखाने, समझाने और विचार करने के लिये यह कदम उठाया है।

मैने अपनी छोटी सी जिन्दगी में सबकुछ सहा है। देखा हैए अनुभव किया है। बहुत सा संघर्ष किया और कई बार औरों की खुशी व समाज के हित के लिए बलिदान भी दिये हैं लेकिन मैं कभी हारा नहीं और न ही मैने कभी हार मानी है।

मैंने हमेशा ही राज्य और जनता के हित मे फैंसला लिया है। मैंने अपना सुख – चैन, समय – स्वास्थ्य, धन – दौलत, नींद – आराम, घर – परिवार और अपने आप को त्यागकर जनता को समर्पित किया है। मैंने अपनी हर सांस, हर लम्बा, हर वक्त और सब कुछ जनता के हितों के लिये त्यागा है। मेरे इस संदेश, त्याग ओर बलिदान को अगर 0.1% भी अहसास कर, विचार कर और समझकर कुछ भी सुधारना है तो अपने कर्म और सोच – विचार में लूट लालच को मांगने – छीनने को, लड़ने – झगडने को, छोड़कर समाज, राज्य और देश के हित में थोड़ा समय दे और कुछ अच्छा काम करे। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की यह बात सोच – विचार, अनुभव और संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि मैं आपको समझा सकूं, जगा सकूं और सच्चाई की लड़ाई में आपको हिम्मत और ताकत दे सकूं।

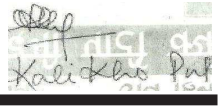

सरकार के खजाने को लगा 585 करोड़ का चूना, कैग में हुआ खुलासा

शिमला/शैल। आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार ने एक ही साल में विभिन्न करों को एकत्रित करने के मामले में प्रदेश के खजाने को छह सौ करोड़ का चूना लगा दिया हैं। ये केवल एक साल का आंकड़ा हैं जो कैग ने अपनी रिपोर्ट उजागर किया हैं।

विधानसभा में कैग की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया जिसमें कई चौंकानें वाले कांड उजागर किए गए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2015-2016 के दौरान बिक्री कर, वैट, राज्य आबकारी कर, मोटर वाहन कर, माल व यात्री कर और वन विभाग से हासिल की जाने वाली राशि में से 585 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। कैग ने कहा कि सरकार ने कम राशि उगाही।

कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित विभागों ने 664 मामलों 182 करोड़ 20 लाख की कमियों को स्वीकार किया है जिसमें से 23 करोड़ 6 लाख की वसूली की गई है।

कैग रिपोर्ट में बिक्री और वैट में 56 करोड़ 76लाख की अनियमितताएं सामने आई हैं। आयकर विभाग ने बिक्री कर और वैट के 51 करोड़ 40 लाख की पट्टा राशि को टोल वैरियरों के पट्टेदारों से बसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

कैग ने धूमल व वीरभद्र सिंह सरकारों के समय के कांडों को भी उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया हैं कि 2005-06 से लेकर 2013-14 तक नौ व्यापारियों से 30 फीसद के स्थान पर 4 से 11 फीसद के हिसाब से कर लगाकर 54 लाख की राशि वसूल नहीं की। इसके अलावा 41 लाख का ब्याज भी नहीं वसूला।

यही नहीं अफसरों ने अमान्य, डुप्लीकेट, और त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को मंजूर कर व करो में छूट व रियायत देने के मामलों में सरकार के खजाने को 47 लाख 90 हजार का चूना लगा दिया। इसके अलावा 41 लाख 83 हजार ब्याज भी नहीं वसूला।

एक व्यापारी पर 6 करोड़ 91 लाख रुपया का प्रवेश कर लिया जाना था लेकिन उससे 3 करोड़ 40 लाख का ही प्रवेश कर वसूला। ऐसे में 3 करोड़ 51 लाख रुपए का लाभ उसे दे दिया गया।

आबकारी फीस, लाइसेंस फीस, ब्याज व बाकी अनियमितताएं कर करीब 16 करोड़ 68 लाख का घोटाला कर दिया।

29 लाइसेंसधारियों से 8 करोड़ 59 लाख रुपए कम वसूले गए व सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा दिया। इसके अलावा 1 करोड़ 3 लाख रुपए का ब्याज भी नहीं वसूला गया। 451 बिक्री केंद्रों के लाइसेंसधारियों ने 2016928 प्रूफ लीटर कम शराब उठाया इसकी एवज में 5 करोड़ 34 लाख अतिरिक्त फीस वसूली जानी थी। इसे नहीं वसूला गया। यही नहीं लाइसेंस फीस का 76करोड़ 39 लाख का भुगतान बिलंब से किया गया इसकी एवज में 99 लाख 61 हजार की ब्याज 109 बिक्री केंद्रों से नहीं मांगी गई।

आबकारी व कराधान विभाग ने केबल आपरेटरों से 55 लाख का मनोरंजन कर नहीं उगाहा।

परिवहन विभाग ने 2012-13 से 2014-15 के लिए 11018 वाहनों से 4 करोड़ 9 लाख रुपए का टोकन टैक्स मांगा ही नहीं। यही नहीं एचआरटीसी, प्राइवेट और बाकी कैरिजों से 1 करोड 53 लाख रुपए का रोड टैक्स नहीं वसूला।

वन विकास निगम ने रॉयल्टी का रेट गलत निर्धारित किया और 8 करोड़ 30 लाख का घोटाला कर दिया।

केन्द्र से नही मिले 63 करोड़ बोले बाली

शिमला/शैल। एचआरटीसी की वर्कशॉपों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूर हुए 63 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की ओर से लंबित कर देने पर परिवहन मंत्री जी एस बाली ने नेता प्रतिपक्ष धूमल समेत भाजपा विधायकों से कहा कि केंद्र सरकार के पास जाओं और इस प्रोजेक्ट को क्लीयर कराओ। मुझे भी साथ ले चलों।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेकट को मोदी सरकार ने लंबित कर दिया हैं। बाली सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राजीव बिंदल के प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

बाली ने जोर देकर कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। इसके प्रोजेक्ट के तहत अब तक 163 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं और सरकार 791 बसें खरीद चुकी हैं।

प्रश्नकाल के दौरान कसौली से भाजपा विधायक राजीव सैजल ने शिमला परवाणू फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी की ओर से सुरक्षा कदम न उठाए जाने से सोलन के समीप चंबाघाट टिंबर ट्रेल के बीच हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की। राजीव सैजल ने कहा कि कंपनी सेफ्टी कदम नहीं उठा रही हैं। जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बच्चों की एक बस यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई इसमें बच्चें तो बच गए लेकिन कंडक्टर की मौत हो गई।

इस मसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा विधायक सैजल की चिंता से सहमति जताई व भरोसा दिया कि सरकार इस बावत हर संभव कदम उठाएंगी।

बिना पेमेंट दी चार करोड़ की शराब बीवरेज कारपोरेशन का कारनामा

शिमला/शैल। सरकार की नाक के नीचे शराब की खरीद फरोख्त के लिए बनी हिमाचल बीवरेज कारपोरेशन ने बददी के एक डिपू से ठेकदारों को चार करोड़ की शराब बिना पेमेंट के जारी करने का कांड कर दिया।

भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत ये मसला उठाया व कहा कि उन्हें ऐसा बताया गया है कि राजनीतिक दबाव में कुछ ठेकेदारों को चार करोड़ की शराब जारी कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि ये संगीन मामला हैं और वो सरकार के ध्यान में इसे लाना चाहते हैं। हो सकता है कि बाकी स्थानों में भी ऐसा हो रहा होगा।

सदन में इस तरह इस मामले के उठ जाने पर आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी ने खड़े होकर कहा कि ऐसा मामला बहरहाल उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार मामले की जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

छात्र आक्रोश रैली देश के युवाओं के लिए प्ररेणा का स्त्रोत:सुनील अंबेकर

शिमला/शैल। रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अंबेकर ने कहा कि पहले देश में चर्चा होती थी कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन अब पूरी दुनिया मानती है कि देश आगे बढ़ रहा है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के हर नागरिक ने राष्ट्रहित में सोचना आरंभ किया है। लेकिन कुछ ताकते देश में तोड़ने के काम में लगी हुई है जिनका हर जगह भांडाफोड़ हो रहा है।

उन्होने कहा कि हिमाचल का यह छात्र आंदोलन देशभर के युवाओं के लिए प्ररेणा स्त्रोत है कि कैसे छोटे से प्रदेश में हजारों युवा सरकार के विरोध में सडकों पर उतरने का दम रखते हैं। यही हालत रही तो प्रदेश की सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। अबेंकर ने कहा कि हिमाचल के लोग बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में पूरी तरह सक्षम हैं लेकिन प्रदेश सरकार की फीस वृद्धि, रूसा सिस्टम, शिक्षा का निजीकरण, आधारभूत ढांचे का अभाव आदि ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो छात्रों को सडकों पर उतरने को मजबूर कर रही हैं।

इससे पहले छात्र आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिंद्रे ने कहा कि देश में अगर व्यवस्थाओं से खतरा हो तो सरकार को बदलने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एबीवीपी की देश भर में सत्ता से लड़ाई नहीं रही है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से रही है। अगर व्यवस्था परिवर्तन न हो तो परिषद् सत्ता परिवर्तन करने का भी दम रखती है।

उन्होने कहा कि देश में रूसा को लेकर आज हर कॉलेज और विश्वविद्यालय जुझ रहा है। रूसा में जो आधारभूत ढांचा चाहिए। वो ढांचा आज तक की सरकारों ने उपलब्ध नहीं करवाया है। इसलिए छात्रों में रोष है। रूसा में सीबीसीएस सिस्टम के कारण सबसे अधिक परेशानियां है। मध्य प्रदेश

सरकार ने यूजी में समेस्टर सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया है। जोकि सराहनीय कदम है और विद्यार्थी परिषद् इस कदम का स्वागत करती है।

विनय ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में बिना शिक्षक के शिक्षा संभव ही नहीं है। हिमाचल में सौ से अधिक कॉलेजों में भी शिक्षकों की यही स्थिति है।

उन्होने आरोप लगाया कि प्रदेश की वीरभद्र सरकार छात्र विरोधी है। छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई हुई है जोकि छात्र अधिकारों का हनन है। उन्होने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। इसका पता इस बात से चलता है कि सरकार में अलग से शिक्षा मंत्री ही नहीं है।

विनय ने कहा कि कांग्रेस सरकार बैक डोर तरीके से भर्तियां कर चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ते का लालच चार सालों से देती आ रही है लेकिन युवा भता नहीं रोजगार चाहती है।

उन्होने मांग की कि देश के निजी शिक्षण संस्थानों में जो लूट और नियमों का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। उसके लिए देश में सख्त नियामक आयोग होना चाहिए। हिमाचल में जो नियामक आयोग है वह सेवा निवृत अधिकारियों का अड्डा बन चुका है। सरकार ने इसमें अपने चहेतों को नियुक्तियां दी है। उन्होंने मांग की कि नियामक आयोग में केवल शिक्षाविदों की ही नियुक्तियां होनी चाहिए।

रैली राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, उतर क्षेत्र के संगठन मंत्री नवीन शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी, हिमाचल की महामंत्री हेमा ठाकुर ने भी संबोधित किया।

अपनी नाकामियां छुपाने के लिए योजना आयोग का रोना न रोये मुख्यमंत्री:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह योजना आयोग बंद होने का रोना रो रहे है जो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूती

देने के लिए 14 वें वित्त आयोग से राज्य को मिलने वाली राशी में 163% की बढ़ोतरी की है। 13 वें वित्त आयोग में राज्य को केवल 21,691 करोड़ रुपये मिले जबकि 14 वें वित्त आयोग में यह राशी बढ़कर 75,282 करोड़ रुपये हिमाचल को मिले है।

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 14 वें वित्त आयोग से पांच साल में जो 75,282 करोड़ रुपये मिलेंगे उसमें राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए 40,625 करोड़ रूपये की राशी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के प्रति कुल 29,224 करोड़ रुपये मिलेंगे। पंचायतों के लिए करीब 1800 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. आपदा प्रबंधन के लिए 1304 करोड़ रुपयों की राशी दी गयी है, सहायता अनुदान के रूप में हिमाचल को 2240 करोड़ रूपये मिलेंगे और न्यायपालिका के लिए करीब 100 करोड़ की राशी का प्रावधान किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊपर दर्शायें गए आकड़ों से साफ है कि केंद्र से मिलने वाली मद्द में कोई कमी नहीं आई है और केंद्र ने आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान 14 वें वित्त आयोग के मिलने वाली वित्तीय मद्द में किया है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपने आय कि 42% रकम राज्यों को दी है जो इससे पहले 32% थी और एक बार में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी आजतक कभी नहीं हुई।?

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह लोगों को गुमराह करना बंद करे और राज्य के आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आये दिन अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लेकर राज्य को कर्ज के बोझ में दबा रही है और आनेवाले सरकार के लिए भी मुश्किल खडी कर रही है।

चम्बा में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय दिवस समारोह

शिमला/शैल। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह 15 अप्रैल, 2017 को चम्बा में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे।

वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह, मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल चम्बा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह का शुभारम्भ प्रातः 11.00 बजे होगा।

हि.प्र. विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स सोलन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर हमीरपुर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी.एस. बाली ऊना, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया सिरमौर जिला के नाहन तथा उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री कुल्लू में जिला स्तरीय समारोहों की अध्यक्षता करेंगे।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा मण्डी, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी शिमला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल कांगड़ा जिला के धर्मशाला, विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ, जबकि लाहौल स्पिति जिले के उपायुक्त जिला मुख्यालय केलंग में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती धर्मशाला में, मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी बिलासपुर में मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार नाहन, मुख्य संसदीय सचिव नन्द लाल व रोहित ठाकुर शिमला, मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर तथा मनसा राम मण्डी तथा इंद्रदत्त लखनपाल हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह के मौके पर उपस्थित रहेंगे।

परिवहन मंत्री ने की अपनी संपति की घोषणा, 80 करोड़ के मालिक

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी एस बाली ने अपनी तय घोषणा के अनुसार अपनी संपति की सार्वजनिक तौर पर घोषण कर दी। बाली ने शिमला में बताया कि वर्तमान में उनके पास लगभग 80 करोड़ की संपति है। जबकि उनके ऊपर 16 करोड़ का लोन भी है।

बाली ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शीता होना आवश्यक है। इसी के चलते उन्होने अपनी संपति की घोषणा की है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होने 2012 के विधानसभा चुनाव के समय शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपति दर्शाई थी। लेकिन इस बीच वे मंत्री पद पर आसीन हैं। इसलिए भी वे अपनी संपति की घोषणा कर रहे हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में परिवहन मंत्री ने दिल्ली में 5 करोड़ का मकान, 5 करोड़ का होटल और 13 कनाल जमीन 40 लाख रूपये के मूल्य की खरीदी है। उन्होने बताया कि इस दौरान खरीदी गई उनकी संपति पर कुल 9 करोड़ रूपये का लोन है। बाली कांगड़ा जिला की नगरोटा बंगवा विधानसभा से लगातार 1998 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि वे 1998 के समय मौजूद अपनी संपति की जानकारी नहीं दे पाए।

मंत्री ने बताया कि वे राजनीति में आने से पहले से ही व्यापार जगत में थे। उन्होने बताया कि 1984 मे उन्होने फैक्टरी लगाई थी। जबकि इसी दौरान उनके पास एक होटल भी था। आज उनके पास एक अस्पताल और मैगा मार्ट भी है।

बाली ने बताया कि 2012 में उनकी कुल संपति 56 करोड़ थी जो कि वर्तमान में बाजारी भाव के अनुसार 80 करोड रूपये के लगभग हो गई है। मंत्री ने बताया कि उनके पास जो भी संपति है, वे उसका आयकर देते हैं।

बाली ने बताया कि 2012 – 13 में उनकी आय एक करोड 80 लाख, 2013 – 14 में दो करोड़ 38 लाख, 2014 – 15 में दो करोड 78 लाख, 2015 – 16 में तीन करोड 24 लाख है। जबकि वर्तमान वित वर्ष में उनकी आय चार करोड़ के लगभग रहने का अनुमान है। उन्होने बताया 2015 – 16 में उन्होने 72 लाख, 2014 – 15 में 62 लाख, 2013 – 14 में 52 लाख आयकर दिया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि उनके पास चार लाख के गहने हैं और उनकी पत्नी के पास 39 लाख के गहने हैं।

कांग्रेस के चार साल के कार्यकाल में हर विभाग में घोटाला:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रणधीर शर्मा ने अली बाबा और चालीस चोरों की कहानी को कांग्रेस सरकार पर सही सिद्ध होने की बात कही है। भोरंज विस उप-चुनाव में भ्याड, कराह, कक्कड़, भूक्कड़ और खिंगन में नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए रणधीर शर्मा ने यह बात कही। संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा की कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भोरंज का विकास केवल स्वर्गीय आई.डी. धीमान और पूर्व सीएम प्रो.प्रेम कुमार धूमल ने करवाया है। आज भोरंज यदि पूरे एशिया में सडकों के घनत्व की दृष्टि से नम्बर वन है तो यह करिश्मा भाजपा सरकार में हुआ है। भाजप ने भोरंज में कॉलेज, बीएड कॉलेज, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और मिनी सचिवालय खुलवाया। यह अलग बात है की बिना बिजली और पानी के कांग्रेस ने इस मिनी सचिवालय का उदघाटन हबड़-तबड़ी में कर दिया।

उन्होंने कहा की कांग्रेस के पास भोरंज में गिनाने को कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस भोरंज में बिना मुद्दों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता जिस प्रत्याशी को गरीब बता कर वोट डालने की दुहाई देते हैं उसके खाते में लाखों रुपए है ऐसा खुद कांग्रेस प्रत्याशी ने हलफनामें में कबूल किया है। कांग्रेस के चार साल के कार्यकाल में हर विभाग में घोटाला हुआ है। भाजपा ने मुख्यमंत्री सहित चालीस लोगों के आरोप तथ्यों सहित बताकर चार्ज शीट राज्यपाल को सौंपी है। उन्होंने कहा की भोरंज उप चुनाव प्रदेश राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है।

इस अवसर पर भाजप जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने भी उपस्थित जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों की झूठी और फरेबी बातों में न फंसने की सलाह दी।

वर्ष 2016–17 के दौरान नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य में 2345 करोड़ जारी किए

शिमला/शैल। दीपक कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 – 17 के दौरान राज्य के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड ने 2345 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कि अब तक की सर्वाधिक सहायता है एवं पिछले वर्ष की तुलना में 655 करोड़ अधिक है।

राज्य के किसानों द्वारा कृषि संबंधी आस्तियों के सृजन एवं फसल ऋण प्रदान करने हेतु ग्रामीण बैंकों को 1825 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं तथा सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 500 करोड़ की वित्तीय सहायता राज्य सरकार को प्रदान की गई।

100 करोड़ की लागत से ऊना जिले में बनने वाले मेगा फूड पार्क के लिए 20 करोड़ की राशि 'क्रेमिका फूड पार्क' को प्रदान की गई। इस परियोजना से राज्य में सब्जी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा एवं कृषि उत्पादक संघों को लाभ पहुंचेगा।

नाबार्ड के पहल पर बने 57 कृषि उत्पादक संघों (FPO) को बीज, खाद एवं कीट नाशकों के लाइसेंस प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में कौशलेस लेन-देन के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु 1470 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डिजिटल भारत की तरफ बढ़ने हेतु सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को रुपे-किसान कार्ड जारी करने के लिए 29.24 लाख की सहायता प्रदान की गई।

बैंकों एवं गैर सरकारी संगठनो को 11.23 करोड़ का अनुदान जारी किया गया ताकि वे डिजिटल वित्तीय साक्षरता कैम्प, वित्तीय साक्षरता केन्द्र, रुपे-केसीसी, माइक्रो एटीएम, बैंक सखी कार्यक्रम एवं वी-सैट के माध्यम से ग्रामीण बैंकों का संयोगिकरण कर सकें।

राज्य के सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा 1,26,034 केसीसी जारी किए गए। इसके अलावा 71,309 एटीएम सक्षम रुपे-केसीसी जारी किए गए।

मण्डी जिले में नाबार्ड द्वारा प्रारम्भ किए गए 'ई-शक्ति' कार्यक्रम के अंतर्गत 4327 स्वयं-सहायता समूहों को वेब-पोर्टल पर लाया गया है ताकि वे डिजिटल मंच पर आयें।

राज्य के 392 गांवों में 'जल अभियान' प्रारम्भ किए गया, जिससे जल-संरक्षण, जल-संचयन एवं जल उपयोग दक्षता के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सके।

नाबार्ड ने 27,750 परिवारों को शामिल करते हुए 3265 एसएचजी एवं 3300 सदस्यों को शामिल करते हुए 533 जेएलजी गठन करने में सहायता की। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से एसएचजी को 26 करोड़ का एवं जेएलजी को 6.1 करोड़ का बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता की गई ।

जन-जातीय लोगों की सहायता हेतु राज्य के सबसे पिछड़े एवं दूरवर्ती ब्लॉक पांगी में 144.65 लाख की सहायता राशी वाली एक परियोजना मंजूर की गई जिससे 293 परिवारों को लाभ मिलेगा। ऐसी परियोजनाएं राज्य के पांच जिलों, यथारू किन्नौर, ऊना, चम्बा, बिलासपुर एवं लाहौल-स्पीती में 1725 परिवारों के लाभ के लिए नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही हैं।

दीपक कुमार ने आशा व्यक्त की है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि के विकास हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही सहायता से न केवल राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी बल्कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में भी बढ़ोतरी होगी।

मुख्यमंत्री ने किया जेल बंदियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गेयटी थियेटर में राज्य कारागार विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर से जेल बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।

तीन दिनों तक चलने वाली यह प्रदर्शनी जेल बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीद के लिए सभी के लिये खुली रहेगी। इन उत्पादों में शॉल, स्टॉल, मफलर, कंबल, ऊनी जैकेट, अन्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प व फर्नीचर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों को कलात्मक, मूल्यवान तथा व्यावसायिक तौर पर व्यवहार्य उत्पादों के निर्माण का अवसर प्रदान कर सार्थक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैदियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं, जो उन्हें कारागार से बाहर आने के उपरांत आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके पुनर्वास में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां जेल बंदियों को व्यस्त रखती हैं और अपराधियों की मनोस्थिति के लिए एक सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ-साथ इनमें समाज के प्रति उत्तरदायी एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करती है। मुख्यमंत्री ने www. Karabazar.in वैबसाइट की शुरूआत भी की। महानिदेशक कारागार सोमेश गोयल ने जेल बंदियों द्वारा संगीत एवं लेखन सहित अपनाई जा रही अन्य गतिविधियों बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कारागार विभाग ने जेल बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए शिमला, नाहन, सोलन तथा अन्य स्थानों पर बिक्री काउंटर खोले हैं।

अनुशासनहीनता पर सत्ती ने की कारवाई

शिमला/शैल। भोरंज विस उप-चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां करने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कड़ी कार्यवाही करते हुए छत्र गाँव के पवन कुमार, टकोता गाँव के पुरुषोत्तम लाल और चम्बोह गाँव के विजय कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है की भोरंज मंडल भाजपा ने इन तीन व्यक्तियों के विरुद्ध पार्टी गतिविधियाँ चलाने और पार्टी को नुक्सान पहुंचाने के लिए इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव पारित कर जिला भाजपा को भेजा था। जिसको जिला अध्यक्ष ने अनुशंसा कर प्रदेश को भेज दिया था। उसी पर कड़ी कार्यवाही हुई है। भाजपा में यह सन्देश दिया गया है की पार्टी को नुकसान और अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज किये हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा उठाये सवाल

शिमला/बलदेव शर्मा

जब सीबीआई ने वीरभद्र के आवास और अन्य स्थानों पर छापामारी की थी तब वीरभद्र ने तुरन्त इस कारवाई के खिलाफ एतराज उठाते हुए इसे हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी। हिमाचल उच्च न्यायालय ने वीरभद्र के एतराज का कड़ा संज्ञान लेते हुए सीबीआई पर यह बंदिश लगा दी थी कि वह इस मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह से पूछताछ, गिरफ्तारी, चालान दायर करना यह सब अदालत की अनुमति के बिना नहीं करेगी। हिमाचल उच्च न्यायालय ने सीबीआई की कारवाई पर ग्यारह गंभीर सवाल खड़े किये थे। यदि यह सवाल अन्त तक खड़े रहते तो इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर रद्द हो जाती। परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई बहस के दौरान सीबीआई के वकील पी एस पटवालिया ने जिस ढंग से इनका खण्डन किया है उसके कारण अदालत ने इन्हे अन्ततः खारिज कर दिया। सवाल और उनके प्रतिकार अदालत में इस प्रकार रहे हैं।

Question	Answer
1 Whether cause of action has arisen within the territorial jurisdiction of this Court qua FIR No. RCAC-1 2015 A-004 registered on 23.9.2015, more particularly, in view of Sr. No. 5read in conjunction with paras 4, 5 and 6 of the FIR?	The issue is not whether cause of action had arisen within the territorial jurisdiction of the High Court of Himachal Pradesh. The issue is whether the cause of action had arisen within the territorial jurisdiction of the learned Special Judge, within whose jurisdiction the FIR/ RC has been registered. The cause of action may arise at one or more places. The RC could be registered within the jurisdiction of the Court at either of such places. Cause of action has certainly arisen within the jurisdiction of the learned Special Judge at Delhi.
2. Whether there could be second preliminary inquiry after the closure of earlier preliminary inquiry purportedly as per para 9.26 of the Central Bureau of Investigation Manual?	The second primary inquiry in the present case is on a different aspect than the first primary inquiry as discussed hereinabove. There was no illegality in the opening of the second preliminary inquiry.
3. Whether registration of FIR No. RCAC-1 2015 A-004 dated 23.9.2015 violates the dicta of Hon'ble Supreme Court in Ms. Mayawati vs. Union of India and others, (2012)8 SCC 106?	The registration of the FIR/ RC in the present case does not violate the decision of the Supreme Court in Mayawati (supra).
4.Whether it was mandatory for the Central Bureau of Investigation to seek the consent of the State Government as per section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act at the time of registration of FIR and its subsequent investigation and raiding the residential premises of the petitioners and non conforming to mandatory provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act vitiates the investigation as well as raid in the official premises of the petitioners?	It was not mandatory for the CBI to seek the consent of the State Government of Himachal Pradesh under Section 6 of the DSPE Act at the time of registration of the FIR/ RC. Thus, the FIR/ RC cannot be quashed on the ground of there being no consent under Section 6 of the DSPE Act from the State Government of Himachal Pradesh. It was mandatory for the CBI to obtain the consent of the State of Himachal Pradesh under Section 6 prior to conduct of any part of investigation in the area of State of Himachal Pradesh. The issue whether such consent had been obtained generally, or specifically, as well as the issue as to what is the effect of the investigation conducted, if any, without obtaining the prior consent of the State Government of Himachal Pradesh, cannot be determined in the present proceedings and would fall for consideration, if and when a charge-sheet is filed before the learned Special Judge. The issue whether, investigation carried out de hors the consent of the State of Himachal Pradesh – even if it were to be accepted for the sake of arguments that such consent was not available, would have to be considered by the learned Special Judge in the light of the discussion and decisions taken note of hereinabove.
5. Whether the raid of the residential premises of the sitting Chief Minister without conforming to section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act would dilute the basic federal structure of the Constitution of India?	Since the case/ RC has been justifiably registered at Delhi by the CBI, if the investigation (including the raid on the premises of the sitting Chief Minister) has been conducted by the CBI in the area of State of Himachal Pradesh in accordance with law, the same would not dilute the basic structure of Constitution of India. The petitioners have not relied upon any provision of law and have not cited any decision of any Court to submit that sitting Chief Minister of a State enjoys any immunity against a criminal offence duly registered by the CBI within the jurisdiction of the competent Special Judge.
6. Whether the FIR No. RCAC-1 2015 A-004 could be registered when the Income Tax Department and this Court is seized of the matter?	The FIR in question could be registered by the CBI, and merely because the Income Tax Department and the High Court is seized of the matter, is no ground to withhold the registration of the Regular Case. This is for the reason that the Income Tax Act is only concerned with the aspect of assessment of income-tax and is not concerned with the criminality involved in the manner in which the income is derived during the relevant assessment year(s). If the FIR/ RC discloses commission of a cognizable offence, the same cannot be quashed as it has been registered within the jurisdiction of the Court where the cause of action arose.
7. Whether the Central Bureau of Investigation has complied with the mandatory provisions of Code of Criminal Provisions and the guidelines provided in Central Bureau of Investigation Manual while registering the FIR and also while undertaking the investigation?	No specific mandatory provision of this Code or the guideline provided in the CBI Manual has been referred to to submit that registration of the FIR/ RC and the undertaking of the investigation by the CBI is in breach thereof. In any event, these are issues which would fall for consideration before the learned Special Judge.
8. What is the true import of Entry 2-A, 80 of the Union List vis-à-vis 2 of the State List and their inter-play?	The import of Entry 2A, 80 of the Union List vis-à-vis Entry 2 of the State List and their interplay has been elaborately discussed hereinabove and the same may be referred to.
9. Whether the income reflected in paras 5 and 6 of the FIR can be treated as disproportionate assets in the hands of petitioner No. 1?	This question does not call for consideration in the present proceedings. The same constitutes the defence of the accused and may be raised before the learned Special Judge, in case the charge-sheet is filed in the RC/ FIR in question and charges are framed against the accused.
10. Whether the registration of FIR against the petitioners is actuated with legal and factual mala fide and political vendetta?	There is no factual basis brought on record to claim that the registration of the FIR against the petitioners is actuated or legally or factually mala fide or that the registration of the FIR/ RC is a result of political vendetta.
11. Whether the permission of the Speaker of the H.P. Legislative Assembly was mandatory before registration of FIR?	There is no legal basis to claim that the permission of the Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly was mandatory before registration of the FIR/ RC in the present case which pertains to the tenure of petitioner No.1 while he was a Central Minister under the Union Government during the check period.

In the light of the aforesaid discussion, the writ petition is dismissed. All interim orders stand vacated.